न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2016-009(GCMS2016-00149)

नाथी उर्फ पपुडी पुत्री सोनाराम माली
निवासी पीपाडशहर हाल निवासी चौकडी कलां
तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. कालीदेवी उर्फ मंजूदेवी पुत्री सोनाराम माली
   निवासी पीपाडशहर हाल निवासी रामनगर
   पाली, तहसील व जिला पाली
2. (नाम तर्क किया गया)
3. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम माली
   निवासी मालियों का उगुणी बास,
   पीपाडशहर, तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार पीपाड
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाडशहर दिनांक 11 जनवरी 2016 राजस्व वाद संख्या 66/2016 अनवान नाथी बनाम कालीदेवी आदि

उपस्थित-

श्री सुगनमल परिहार - श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री नरेन्द्र कुमार दाधिच, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1
श्री मोहम्मद साबिर, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 25 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाडशहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2016 अनवान नाथी बनाम कालीदेवी आदि में पारित निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 11 जनवरी 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 22 जनवरी 2016 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादिनी-अपीलाण्ट ने राजस्व ग्राम पीपाडशहर स्थित आराजी खसरा संख्या 1329/39, 1329/43, 1330/2, 1332 बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा बाद आवश्यक कार्यवाही दिनांक 23 जुलाई 2015 को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दिनांक 11 जनवरी 2016 को अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी जारी किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि मामले में जारी प्राथमिक डिकी के अनुसरण में विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव बाबत अपीलाण्ट की ओर से आपत्तियॉ पेश की गयी, मगर उन आपत्तियों को सरसरी तौर पर खारिज करते हुए विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से वादग्रस्त आराजियात का विभाजन करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी जारी कर दिये गये और आराजी खसरा संख्या 1332 गैरमुमकिन ढाणी में अपीलाण्ट का कोई हिस्सा ही नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, विभाजन प्रस्तुत भी पटवारी हळका द्वारा तैयार किये गये है, जबकि नियमानुसार संबंधित तहसीलदार द्वारा तैयार किये जाने चाहिये। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. एवं राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादिनी-अपीलाण्ट द्वारा राजस्व ग्राम पीपाडशहर स्थित आराजी खसरा संख्या 1329/39, 1329/43, 1330/2, 1332 बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त खसरा नम्बरान में से खसरा संख्या 1332 की किस्म गैरमुमकिन ढाणी है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद स्वीकार करते हुए दिनांक 23 जुलाई 2015 को निर्णय एवं प्राथमिक डिकी जारी विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये और अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 11 जनवरी 2016 पारित किये गये, जिनमें आराजी खसरा संख्या 1332 गैरमुमकिन ढाणी में वादिनी-अपीलाण्ट को कोई बंट नहीं दिया जाकर उक्त खसरा रेस्पो. संख्या एक कालीदेवी उर्फ मंजूदेवी पुत्री सोनाराम तथा प्रतिवादिनी बिदामी पत्नी सोनाराम के बंट में रखा गया। जो अदालत हाजा की विनम्र राय में न्यायोचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 11 जनवरी 2016 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संबंधित तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जावे और निर्धारित प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 19 की पालना सुनिश्चित करते हुए न्यायोचित निर्णय एवं फाइनल डिक्री जारी किये जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर